न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02/18 (2018/00002) वाद पत्र

उनवान

1—उदयराम पिता हीरालाल गर्जुर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.03.2022

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात संख्या 1672/256 रकबा 0.16 है0 भूमि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बेरून हल्का आबादी में स्थित है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला रहा है। वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस पेश किया है। उक्त कृषि आराजियात को वादी द्वारा दिनांक 05.10.2016 को पूर्व खातेदार नारायण पिता गोकल से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर उक्त आराजी ठीकरिया जाने वाली गे.मु. सड़क आराजी संख्या 252 के पूर्वी दिशा में है। वादग्रस्त आराजियात को नक्शे में आ.स. 252 गे.मु. सड़क के पश्चिम में दर्ज कर रखा है जबकि मौके पर आ.स. 252 के पश्चिम में आ.स. 1553/256 आ.स. 1554/256 है तथा गे.मु. सड़क के पूर्व दिशा में वादी की वादग्रस्त आराजी संख्या 1672/256 स्थित है। मौके पर आ.स. 252 गे.मु. सड़क घुम कर आ.स. 1554/256 के मध्य होकर निकल रही है। जिसे नक्शे में सही तरमीम नही किया गया है जिस कारण मौके पर विवाद बना हुआ है तथा प्रतिवादीगण आए दिन वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते रहते है। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा की आराजी संख्या 1672/256 रकबा 0.16 है0 भूमि व सड़क गे.मु. आराजी संख्या 252 को राजस्व नक्शे में मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करते हुए वादी की आराजी संख्या 1672/256 को सड़क के पूर्व दिशा में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायपुर को दिये जावे। साथ ही बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा की आराजी संख्या 1672/256 रकबा 0.16 है0 भूमि जो राजस्व नक्शे में सड़क गे.मु. आ.स. 252 के पूर्व दिशा मे है। वादी को उसके हिस्से में फसल काश्त कर फसल लाभ लेने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावे तथा वादी को जबरन कब्जे से बेदखल नहीं करे। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी को उसके हक एवं हिस्से तथा कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देवें तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः कब्जा वादी को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 फौरमल पक्षकार है। तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब में अंकन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 जो स्वीकार है शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। कॉल संख्या 2 में अकिंत तथ्य गै.मु. सड़क आ.स. 252 में होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। कॉलम 3 में अकिंत तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। कॉलम 4 में वर्णित तथ्य के सम्बन्ध में अकिंत किया कि आराजी संख्या 252 के पश्चिम की ओर वादी की भूमि है। काफलम 5 में अकिंत तथ्य अस्वीकार कर अंकित किया कि सड़क को बने हुए काफी वर्ष हो चुके है जबकि वादी द्वारा वर्णित भूमि वाद के कॉलम 2 के अनुसार दिनांक 05.10.2016 को कय की गई है जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। वादी के कॉलम 6 व 7 को अस्वीकार करते हुए कॉलम 9, 10, 11 कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है अकिंत करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्य रेकार्ड के विपरीत पेश किये जाने से वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे।

तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मासिंहपुरा में आराजी नम्बर 252 रकबा 1.20 है0 किस्म गेमु. सड़क दर्ज रेकार्ड है जो सार्वजनिक निमार्ण विभाग रायपुर के नाम है। उक्त आराजी नम्बर 252 रकबा 1.20 है0 ग्राम मोखुन्दा से मासिंहपुरा जाने वाली ग्रामीण डामरीकृत सड़क से जुड़ा होकर ग्राम ठिकरिया की ओर जाने वाली ग्रामीण डामरीकृत सड़क है। इसी प्रकार ग्राम मासिंहपुरा के आराजी नम्बर 1672/256 रकबा 0.16 है0 खातेदार उदयलाल पिता हीरालाल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 1672/256 रकबा 0.16 है0 मे से 0.08 है0 भूमि पर मौके पर डामरीकृत सड़क निकल रही है इसे संलग्न राजस्व नक्शे में लाल स्याही से आच्छादित किया गया है। उक्त आराजी नम्बर 1672/256 रकबा 0.16 है0 को शेष रकबे 0.08 है0 को पड़ौसी खातेदारान 1. नारायणसिंह पिता नवलसिंह राव सा. जोड़लिया जिला राजसंमद 2. मनोहरलाल पिता मांगीलाल तेली निवासी देवरिया 3. प्रताप पिता भुरालाल तेली निवासी मानपुरा ग्रा.प. देवरिया द्वारा उपयोग किया जा रहा है इसमें 20X20 में पक्का निमार्ण होकर सराय व कमरे बने हुए है। राजस्व रेकार्ड में अकित डामरीकृत सड़क पर आराजी संख्या 252, आराजी संख्या 1672/256 के पूर्वी दिशा में स्थित होकर पड़त पड़ी हुई है जिसमें पड़ौसी खातेदार नारायण पिता गोकल गुर्जर का कब्जा है। नारायण पिता हीराल[illegible] आराजी नम्बर 1672/256 रकबा 0.16 है0 भूमि कय की थी।

वादी अधिवक्ता द्वा[illegible] वादी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी की ओर [illegible] साक्ष्य नही करा राजस्व रेकार्ड में सड़क के रकबे को कम नही किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:42 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादी द्वारा वर्ष 2016 में खातेदार नारायण पिता गोकल गुर्जर से कय की जिसका नामान्तकरण संख्या 611 दिनांक 20.10.2016 से वादी के नाम भूमि दर्ज हुई और वादी द्वारा क्रय शुदा भूमि का कब्जा किस जगह प्राप्त किया ऐसा कोई दस्तावेज इस वाद में प्रस्तुत नही किया है और जहां वादी द्वारा वाद में आराजी संख्या 1672/256 के मौका स्थिति के सम्बन्ध में जो तथ्य पेश किये गये उस जगह वादी का कब्जा होना प्रमाणित नही है। इसके साथ ही इस पत्रावली में ऐसा कोई पर्चा मौका सीमाज्ञान या पत्थरगढ़ी का प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आराजी संख्या 1672/256 पर अमुख व्यक्ति का कब्जा है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें वादी की भूमि पर अन्य व्यक्तियो का कब्जा होना दर्शाया है जिसमें स्थिति स्पष्ट नही होती है। वादी द्वारा आराजी संख्या 1672/256 के कुछ भाग पर सड़क निकलना बताते हुए सड़क के रकबे में से भूमि अपने नाम कराना चाहता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आता है। वादी अपनी आराजियात का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कराने में स्वंतत्र है, पत्थरगढ़ी के दौरान खातेदार की भूमि पर अगर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो वादी धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् बेदखली करने की कार्यवाही के लिये स्वंतत्र है।

उपरोक्त विवरण अनुसार वादी अपने वाद को प्रमाणित कराने में असफल होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रमाणित कराने में असफल रहने से वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:42 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–02 / 18 (2018 / 00002) वाद पत्र

उनवान

1–उदयराम पिता हीरालाल गर्जुर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रमाणित कराने में असफल रहने से वाद अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22.03.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:42 IST
Reason: SelfAttested